भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1222
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 18 जुलाई, 2014/27 आषाढ़, 1936 (शक) को दिया गया)

<u>सीसीआई द्वारा पारदर्शी दिशानिर्देश</u>

1222. श्रीमती कोथापल्ली गीता :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न प्रकार के स्लैबों को देखते हुए जुर्माना/शास्ति के दिशानिर्देश को पारदर्शी बनाने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्यकरण को युक्तिसंगत बनाने के लिए कोई कदम उठाया है/उठाने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मौजूदा स्थिति क्या है; और
(ग) इस संबंध में सरकार के पास लंबित प्रस्तावों/मांगों, यदि कोई हैं, का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (ग) : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। सरकार उसे उक्त अधिनियम के तहत सौंपे गए कार्य करती है। उक्त अधिनियम की धारा 27(ख) के तहत आयोग को जुर्माना लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। यह धारा आयोग को प्रभुत्वपूर्ण स्थिति के दुरुपयोग और प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों के लिए पिछले तीन वर्षों के औसत कारोबार के 10% तक जुर्माना लगाने के लिए प्राधिकृत करती है। तथापि, धारा 46 के तहत आयोग अपेक्षाकृत कम शास्ति लगाने के लिए प्राधिकृत है। धारा 46 की शक्ति को

कार्यान्वित करने के लिए, आयोग ने मामले में दिशा-निर्देशों के रूप में काम में आने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (कमतर शास्ति) विनियम, 2009 बनाया है।

*****